



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 9683 / अका. / 2006

रायपुर, दिनांक : 17 / 11 / 2006

॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 12वीं बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2006 के पद क्रमांक-20 के अनुमोदन अनुसार विश्वविद्यालय परिनियम-28 part-VI कंडिका 16(3) में उल्लेखित – "For Lecturer in various subjects the candidate should possess the minimum qualifications prescribed by the U.G.C. from time to time" को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

"For Principal & Lecturer/ Professor in various subjects the candidate should possess the minimum qualifications prescribed by the UGC/ AICTE/ PCI/ DCI/ NCI/ NCTE/ BAR COUNCIL OF INDIA from time to time."

आदेशानुसार,

उपकुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 9684 / अका. / 2006
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 17 / 11 / 2006

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर ।
 2. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
 3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
 4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद,
 5. उपकुलसचिव (परीक्षा) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय),
 6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)